

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम
का संक्षिप्त विवरण।

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के
अन्तर्गत लमगड़ा विकास खण्ड के ग्राम तुलैड़ी से
ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिलागाँव तक मोटर
मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 कि०मी०।
पत्रावली में संलग्न है

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

ग) परियोजना की लागत।
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

13.65 लाख
इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भूमि का
चयन किया गया भूमि की उपलब्धता के
कारण वैकल्पिक स्थल निरस्त किया गया।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जाने के लिए)

लागू नहीं

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संभावना है।

फल, सब्जी, दूध एवं अनेक रोजगार।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण।

1. वन पंचायत भूमि	—	3.600 है०
2. नाप भूमि	—	0.153 है०
कुल भूमि	—	3.753 है०

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

किसी भी परिवार को नहीं हटाया जाना है।

क) परिवारों की संख्या

शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के
परिवारों की संख्या

शून्य

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने
के लिए)

लागू नहीं है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक

संलग्न है।

वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान- अल्मोड़ा।

(इं० विजय कुमार)
अधिसासी अभियन्ता
प्राकृतिक खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)